

No. P-13033/261/2022-EXPLOSIVE

भारत सरकार/Government of India
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय/Ministry of Commerce and Industry
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग/Deptt for Promotion of Industry & Internal Trade
विस्फोटक अनुभाग/Explosives Section

Udyog Bhawan, New Delhi-110011

Dated: 17th June, 2025

NOTE FOR PUBLIC & STAKEHOLDER CONSULTATION

Subject: Proposal for Repeal of the Explosives Act, 1884(4 of 1884) and introduction of the Explosives Bill, 2025 for enactment of the Act-reg.

With reference to the subject cited above, kind attention is invited towards the fact that the Explosives Act, 1884 was enacted to regulate the manufacture, possession, use, sale, transport, import and export of explosives for commercial purposes and to prevent accidents (explosion) due to explosives in the territory of India.

2. The subject "explosives" is enumerated in the Union list of the Seventh Schedule to the Constitution and administration of the Explosives Act, 1884 is within the control of Union of India through its various statutory bodies.

3. The Explosives Act, 1884 is a pre-constitutional Act and it was comprehensively modified in the year, 1978. Many large and small companies began to manufacture high explosives after independence. It is observed that the Explosives Act, 1884, which is based on the old British pattern and is not adequately meeting the country's growing requirements and development in the explosive sector thereby resulted in difficulties for the industry. With a view to remove shortcomings in the Explosives Act, 1884 and to obviate the difficulties experienced by the industry, the Explosives Act, 1884 was comprehensively amended in the year, 1978 by the Explosives (Amendment) Act, 1978 (32 of 1978).

4. During examination of all the pre-constitutional Acts from the purview of their suitability and relevance in the present circumstances and suggested to take remedial actions for their repeal or re-enactment or consolidation of two or more central acts into single enactment regulating identical matters for re-enactment or repeal, as the case may be. It is proposed to repeal the Explosives Act, 1884 and re-enact a new law with necessary modifications including in the penal provisions thereof, to bring it in conformity with the current scenario or circumstances.

5. Salient features of the amendments made in the Explosives Act, 1884 by the Explosives Bill, 2025 are enumerated as under: -

- I. Object, purpose and enacting formula modified;
- II. Clause 1 - Short title and commencement clauses modified.
- III. Clause 2 – Seven new definitions viz. chief controller, competent person, controller, licensing authority, notification, operator and third-party inspection agency are proposed to be inserted and seven existing definitions viz. "aircraft", "carriage"; "district magistrate", "explosive", "export"; "import" and "master" have been slightly modified.

- IV. In Clause 4, Clause 10, Clause 13, Clause 14 & Clause 19 – the reference to the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Indian Penal Code, 1860 have been substituted with the provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, where ever they occur.
- V. The provisions of existing section 5 shifted to clause 26 and the provisions of section 5A being the transitional provisions are no longer required and hence not incorporated in the proposed Bill.
- VI. The provisions of existing section 6, being of the elementary and prime nature, have been shifted to clause 3 of the Bill and a new sub-clause (2) is inserted in said clause 3 with a view to empower the Central Government to prescribe by rules a competent authority to grant, suspend or revoke a licence granted under the enactment.
- VII. Sections 6A to Section 7 of the existing Act are renumbered as clause 4 to clause 10 of the proposed Bill.
- VIII. In Clause 11- New provisions relating to the third-party inspection agency and competent person have been added to the proposal with a view to authorise them for conducting inspection, tests, certification, safety audit and any other function which the Central Government may prescribe by rules in future.
- IX. Sections 8 to Section 9A of the existing Act are renumbered as clause 12 to clause 14 in the proposed Bill.
- X. The provisions of section 6B of the existing Act have been shifted to clause 5 of the proposed Bill and in the said clause 5, three new sub-clauses (1), (4) and (5) relating to the procedure of making an application for grant of licence and conditions for grant of licence, have been inserted.
- XI. The provisions of existing section 9B relating to punishment for certain contraventions shifted to clause 15 and the fine thereunder is proposed to be increased. There is no proposal to increase the imprisonment. The punishment for contraventions by the third-party inspection agency, authorised competent person and their employees have been added by sub-clause (4) to said clause 15.
- XII. The provisions relating to sections 10 to section 17A of the existing Act are renumbered as clause 17 to clause 25 in the proposed Bill.
- XIII. The provisions relating to section 18 of the existing Act shifted to clause 26 and clause 27 of the proposed Bill.
- XIV. Clause 28 relating to removal of difficulty, which may arise in giving effect to the provisions of the enactment, and clause 29, for repeal of the existing Act and for saving certain actions taken in pursuance to provisions of existing Act, have been added to the Bill.

6. In view of the above, comments/suggestions from the General public, Industry associations and other persons and entities concerned likely to be affected, is hereby invited on the above mentioned proposed enactment. It is requested that comments/suggestion on the above stated enactment may be sent **on or before 17.07.2025** in MS Office Word file to Email: **pritam.k@gov.in** and **expl-dipp@nic.in** with the subject line ***“Comments/suggestions on the proposed Repeal of the Explosives Act, 1884(4 of 1884) and introduction of the Explosives Bill, 2025 for enactment of the Act”***.

7. Further, alternatively comments/suggestion may also be sent by post to the following address:

Shri Pritam Kumar

Under Secretary, Explosives Section,
Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)
Ministry of Commerce & Industry, Room No. 460 B, Udyog Bhawan,
Rafi Ahmed Kidwai Marg Rajpath, Road Area, Central Secretariat,
New Delhi- 110011

The envelope may kindly be superscripted on the top with "*Comments/suggestions on the proposed Repeal of the Explosives Act, 1884(4 of 1884) and introduction of the Explosives Bill, 2025 for enactment of the Act*".

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pritam Kumar', with a date '12/6/25' written below it.

(Pritam Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India

Tel: 011-23063148

Email ID: pritam.k@gov.in

सं. पी-13033/261/2022-विस्फोटक

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

विस्फोटक अनुभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांक: 17 जून, 2025

जनता एवं हितधारकों के साथ परामर्श के लिए टिप्पण

विषय: विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) को निरस्त करने तथा अधिनियम को अधिनियमित करने हेतु विस्फोटक विधेयक, 2025 को प्रस्तुत करने संबंधी प्रस्ताव।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि विस्फोटक अधिनियम, 1884, व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, इस्तेमाल, बिक्री, परिवहन, आयात और निर्यात को विनियमित करने तथा भारत के भीतर विस्फोटकों से होने वाली दुर्घटनाओं (विस्फोट) को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था।

2. “विस्फोटक” विषय का उल्लेख संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में किया गया है तथा विस्फोटक अधिनियम, 1884 का प्रशासन विभिन्न सांविधिक निकायों के जरिए भारत संघ के नियंत्रणाधीन है।

3. विस्फोटक अधिनियम, 1884 संविधान-पूर्व का अधिनियम है तथा वर्ष 1978 में इसमें व्यापक संशोधन किए गए थे। स्वतंत्रता के बाद अनेक बड़ी और छोटी कंपनियों ने उच्च विस्फोटकों का विनिर्माण शुरू कर दिया था। यह पाया गया है कि विस्फोटक अधिनियम, 1884, पुराने ब्रिटिश प्रारूप पर आधारित है तथा यह देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं और विस्फोटक क्षेत्र के विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे उद्योग के लिए कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। विस्फोटक अधिनियम, 1884 की कमियों को दूर करने और उद्योग द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों का समाधान करने के मद्देनजर, विस्फोटक (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का 32) के जरिए वर्ष 1978 में विस्फोटक अधिनियम, 1884 में व्यापक संशोधन किए गए थे।

4. संविधान-पूर्व के सभी अधिनियमों की, वर्तमान परिस्थितियों में उपयुक्तता और प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से जांच करने के बाद यह सुझाव दिया गया कि उन्हें निरस्त करने अथवा उनका पुनः अधिनियमन करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाए अथवा एक जैसे मामलों को पुनः अधिनियमित अथवा निरस्त करने, जैसा भी मामला हो, के लिए दो या दो से अधिक केंद्रीय अधिनियमों का एक में अधिनियमन किया जाए। विस्फोटक अधिनियम, 1884 को निरस्त करने तथा दंडात्मक प्रावधानों सहित आवश्यक संशोधनों के साथ नए कानून को पुनः अधिनियमित करने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि इसे वर्तमान परिदृश्य अथवा परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जा सके।

5. विस्फोटक विधेयक, 2025 के जरिए विस्फोटक अधिनियम, 1884 में किए गए संशोधनों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

I. अधिनियम के उद्देश्य, प्रयोजन और अधिनियमन के तरीके में संशोधन किया गया है;

II. खंड 1 – संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ संबंधी खंडों में संशोधन किया गया है।

- III. खंड 2 - सात नई परिभाषाओं अर्थात् मुख्य नियंत्रक, सक्षम व्यक्ति, नियंत्रक, लाइसेंसिंग प्राधिकारी, अधिसूचना, ऑपरेटर और तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसी को शामिल करने का प्रस्ताव है और सात मौजूदा परिभाषाओं अर्थात् "एयरक्राफ्ट", "कैरिज", "जिला मजिस्ट्रेट", "विस्फोटक", "निर्यात", "आयात" और "मास्टर" को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है।
- IV. खंड 4, खंड 10, खंड 13, खंड 14 और खंड 19 में - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के प्रावधानों के संदर्भ को, जहां भी वे आते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों से प्रतिस्थापित किया गया है।
- V. मौजूदा धारा 5 के प्रावधानों को खंड 26 में लाया गया है और धारा 5 के प्रावधान की संक्रमणकालीन प्रावधान होने के कारण अब आवश्यकता नहीं है और इसलिए उन्हें प्रस्तावित विधेयक में शामिल नहीं किया गया है।
- VI. मौजूदा खंड 6 के प्रावधानों को, प्राथमिक और प्रमुख प्रकृति का होने के कारण, विधेयक के खंड 3 में रखा गया है और उक्त खंड 3 में एक नया उप-खंड (2) जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार को, इस अधिनियमन के तहत लाइसेंस प्रदान करने, उसे निलंबित या प्रदान किए गए लाइसेंस को रद्द करने के लिए नियमों द्वारा एक सक्षम प्राधिकारी निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करना है।
- VII. मौजूदा अधिनियम की धारा 6क से धारा 7 को प्रस्तावित विधेयक के खंड 4 से खंड 10 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया है।
- VIII. खंड 11 में-तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी और सक्षम व्यक्ति से संबंधित नए प्रावधानों को प्रस्ताव में जोड़ा गया है ताकि उन्हें निरीक्षण, परीक्षण, प्रमाणन, सुरक्षा लेखा परीक्षा और किसी अन्य कार्य को करने के लिए प्राधिकृत किया जा सके जिसे केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में नियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- IX. प्रस्तावित विधेयक में मौजूदा अधिनियम की धारा 8 से धारा 9क को खंड 12 से खंड 14 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया है।
- X. मौजूदा अधिनियम की धारा 6ख के प्रावधानों को प्रस्तावित विधेयक के खंड 5 में लाया गया है और उक्त खंड 5 में लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया और लाइसेंस प्रदान करने की शर्तों से संबंधित तीन नए उप-खंड (1), (4) और (5) शामिल किए गए हैं।
- XI. कुछ उल्लंघनों के लिए दंड से संबंधित मौजूदा धारा 9ख के प्रावधानों को खंड 15 में लाया गया है और इसके तहत जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव है। कारावास की अवधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी, प्राधिकृत सक्षम व्यक्ति और उनके कर्मचारियों द्वारा उल्लंघन के लिए दंड को उक्त खंड 15 के उप-खंड (4) द्वारा जोड़ा गया है।
- XII. मौजूदा अधिनियम की धारा 10 से धारा 17क से संबंधित प्रावधानों को प्रस्तावित विधेयक में खंड 17 से खंड 25 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया है।
- XIII. मौजूदा अधिनियम की धारा 18 से संबंधित प्रावधान प्रस्तावित विधेयक के खंड 26 और खंड 27 में लाए गए हैं।
- XIV. विधेयक में, अधिनियमन के प्रावधानों को लागू करने में आनेवाली कठिनाई को दूर करने से संबंधित खंड 28, तथा मौजूदा अधिनियम को निरस्त करने और मौजूदा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में की गई कतिपय कार्रवाइयों को छोड़ने से संबंधित खंड 29 को जोड़ा गया है।
6. उपर्युक्त के मद्देनजर, उपर्युक्त प्रस्तावित अधिनियमन के लिए आम जनता, उद्योग संघों और अन्य संबंधित व्यक्तियों एवं कर्पणियों से टिप्पणियां/सुझाव एतद द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं। अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिनियमन पर टिप्पणियां/सुझाव MS Office Word फाइल में

दिनांक 17.07.2025 या उससे पहले pritam.k@gov.in तथा expl-dipp@nic.in पर ई-मेल किए जाएं, जिसका शीर्षक 'विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के प्रस्तावित निरसन तथा अधिनियम का अधिनियमन करने के लिए विस्फोटक विधेयक, 2025 को प्रस्तुत करने संबंधी टिप्पणियां/सुझाव' होना चाहिए।

7. इसके अलावा, टिप्पणियां/सुझाव वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित पते पर भी भेजे जा सकते हैं:

श्री प्रीतम कुमार
अवर सचिव, विस्फोटक अनुभाग,
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कक्ष संख्या 460 बी, उद्योग भवन,
रफी अहमद किदवई मार्ग राजपथ, रोड एरिया, केंद्रीय सचिवालय,
नई दिल्ली - 110011

लिफाफे के ऊपर 'विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के प्रस्तावित निरसन तथा अधिनियम का अधिनियमन करने के लिए विस्फोटक विधेयक, 2025 को प्रस्तुत करने संबंधी टिप्पणियां/सुझाव' लिखा होना चाहिए।



(प्रीतम कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23063148

ई-मेल आईडी: pritam.k@gov.in